उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार– 249404
www.ukpsc.gov.in

पत्रांक :: 33/08(ii)/डी0आर0/सेवा-02/2012-13 दिनाँक :: 18 मई, 2018

विज्ञप्ति

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड राज्य के ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी के विभिन्न विषयों/पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या- 02/विज्ञापन /सेवा-02/2014-15, दिनाँक 03 फरवरी, 2015 के सापेक्ष दिनाँक 26 जून, 2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 में प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पंचायत), प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (सांख्यिकी) एवं प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि अभियंत्रण एवं उत्पादन) के रिक्त पदों के सापेक्ष स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि 07 जून, 2018 (बृहस्पतिवार) को प्रथम सत्र में निर्धारित की गयी है। अर्ह अभ्यर्थी अनुक्रमांकवार साक्षात्कार कार्यक्रम एवं साक्षात्कार ज्ञाप दिनांक 18 मई, 2018 से आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** से डाउनलोड कर सकते हैं। अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक से डाक द्वारा साक्षात्कार-ज्ञाप प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

2. उक्त साक्षात्कार परीक्षा हेतु प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि अभियंत्रण एवं उत्पादन) के सापेक्ष Pushpendra Singh Jayara (910394) व प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (सांख्यिकी) के सापेक्ष Chandrashekhar Bishtania (910303) को कार्यालय ज्ञाप संख्या: 142/08(vii)/डी0आर0/सेवा-02 /2012-13 दिनांक 16 मार्च, 2018 के अनुक्रम में निर्धारित तिथि तक वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराने के कारण मा0 आयोग द्वारा साक्षात्कार में सम्मिलित न करने एवं संबंधित पद के सापेक्ष उक्त दोनों अभ्यर्थियां का अभ्यर्थन निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पंचायत) पद के सापेक्ष श्री मनोज सिंह बिष्ट के प्रत्यावेदन दिनांक 01.04.18 पर मा0 आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लेने हेतु आयोग कार्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति 170, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 के अनुक्रम में निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट समस्त अभिलेख सहित उपलब्ध न कराने के कारण उक्त पद के सापेक्ष श्री मनोज सिंह बिष्ट (912991) का अभ्यर्थन निरस्त घोषित किये जाने का पूर्व निर्णय यथावत रखते हुए प्रत्यावेदन दिनांक 01.04.18 निस्तारित कर दिया गया है।

4. प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि अभियंत्रण एवं उत्पादन) पद के सापेक्ष अनर्ह घोषित अभ्यर्थी श्री मुकेश रावत (910032) के प्रत्यावेदन दिनांक 05.04.18 पर मा0 आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लेने हेतु विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी श्री मुकेश रावत (910032) को प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि अभियंत्रण एवं उत्पादन) पद के सापेक्ष अनर्ह घोषित किये जाने का पूर्व निर्णय यथावत रखते हुए प्रत्यावेदन दिनांक 05.04.18 निस्तारित कर दिया गया है।

5. प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पशुपालन) के रिक्त 01 पद के सापेक्ष स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यथियों में से विज्ञप्ति 170, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 के अनुक्रम में निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट समस्त अभिलेख सहित उपलब्ध कराने वाले अभ्यर्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न किये जाने के कारण मा0 आयोग द्वारा प्रश्नगत पद की चयन प्रक्रिया निरस्त करते हुये उक्त पद को शासन को अग्रेनित करने का निर्णय लिया गया है।

18/5/18

(आनन्द स्वरूप)

सचिव।